भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1460

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोयले की कमी

1460. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कोयले का घरेलू स्तर पर कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है और कोयला कंपनियों पर दबाव डाल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश ने वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन देखा है। वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 997.828 मिलियन टन (मि.ट.) अनंतिम था। पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादित कोयले की मात्रा और आयातित कोयले की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकडे मिलियन टन (मि.ट.) में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
उत्पादन	730.874	716.083	778.210	893.191	997.828
आयात	248.537	215.251	208.627	237.668	261.001

* अनंतिम आंकड़े

(घ) और (ङ) :- कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को डीजीएमएस द्वारा उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानक और दिशानिर्देशों के निरूपण, निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों, जोखिम प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेश के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन।
2. प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) की तैयारी और कार्यान्वयन।
3. साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निरूपण और अनुपालन।
4. बहु-विषयक सुरक्षा ऑडिट दलों के माध्यम से खानों का सुरक्षा ऑडिट करना।
5. स्ट्रेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना।
6. खान पर्यावरण की निगरानी।
7. ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय जैसे कि :
    - विस्फोट मुक्त सुरक्षित खनन के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
    - खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन।
    - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
    - निकटता चेतावनी उपकरण, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विज़ुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम आदि से लेस डंपर।
    - ऑपरेटरों की सुविधा के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीटें और एसी केबिन।
    - ओसी खान के अंदर एचईएमएम की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और जियो-फेंसिंग।
    - रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई मास्ट टावरों का उपयोग करके प्रकाश की व्यवस्था।

8. भूमिगत कोयला खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय:

- एलएचडी और एसडीएल के साथ अर्ध मशीनीकरण की शुरूआत करके बास्केट लोडिंग को समाप्त करना।
- न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक रूफ बोल्टिंग सिस्टम द्वारा बोल्टिंग के साथ प्रभावी रूफ कंट्रोल सिस्टम के लिए रेसिन कैप्सूल से सीमेंट कैप्सूल का प्रतिस्थापन करना।
- जहां भी भूविज्ञान अनुमति देता है, सतत खनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं (ईआर और ईपी) सीएमआर 2017 के विनियमन 252 के अनुसार तैयार की गई।
- भूमिगत खान पर्यावरण में सुधार के लिए एयर चिलिंग प्लांट।
- बचाव कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए तारारहित कैप लैंप खरीदे गए हैं।

9. खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण:

- क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण।
- एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न विषयों पर निरंतर आधार पर फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन।
- सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना।
- खान अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एसआईएमटीएआरएस मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

10. खान सुरक्षा निरीक्षण:

- पर्याप्त संख्या में सक्षम और वैधानिक पर्यवेक्षकों तथा खान अधिकारियों द्वारा सभी प्रचालन कार्यों का चौबीसों घंटे पर्यवेक्षण।
- प्रत्येक खान में नियुक्त कामगार निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण।
- खान एवं क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैक शिफ्ट खान का औचक निरीक्षण।
- आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित खान निरीक्षण।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक खान निरीक्षण।

****